# न्यायालय : अवर न्यायाधीश अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
# स्वत्व वाद संख्या 815/2012
# सीआइएस 498.18

**प्रस्तुत समक्षः** **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

## आदेश

**दिनांक 30.05.2024** वाद पुकारा गया। मामले में वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 20.01.2024 के अन्तर्गत कहा गया है कि वादीगण द्वारा बेतिया राज द्वारा निर्गत जमावंदी रजिस्टर का रेंट रौल की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है जो लोग दस्तावेज है अतः उसे प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें।

मामले में प्रतिवादी आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आवेदन किस प्रावधान के अंतर्गत दिया गया है इसका उल्लेख नहीं है अतः आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा करें। ।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी के द्वारा न्यायालय में प्रदर्श करने हेतु बेतिया राज द्वारा निर्गत जमावंदी रजिस्टर का रेंट रौल की प्रमाणित प्रति न्यायालय में दाखिल किये गये हैं । मामले के सम्यक निस्तारण हेतु दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करना आवश्यक है । मामले में न्यायालय **अब्दुल रहमान तथा अन्य बनाम मोहम्मद कारू तथा अन्य के मामले में दिनांक 30.11.18 में माननीय न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा, पटना उच्च न्यायालय के पी0एल0जे0आर0 2019 (1) –376 में पारित आदेश का अवलोकन करती है जिसमें माननीय न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के संबंध में कहा है कि यदि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज या आदेश की प्रमाणित प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो उसे विपक्षी पक्षकार के आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित किया जा सकता है और ऐसे दस्तावेज का साक्ष्यिक मूल्य बहस के समय देखा जा सकता है।** अतः प्रस्तुत मामले में न्यायालय वादी के आवेदन को लोक दस्तावेज होने के कारण स्वीकृत करती है और कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि सभी दस्तावेज को प्रदर्श के रूप में अंकित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। वाद दिनांक .....वास्ते साक्ष्य।

लेखापित तथा संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)